□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1129

28 □□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डॉक्टर रोगी अनुपात

1129. श्री अजय कुमारः
श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः
श्री पी॰ पी॰ चौधरीः
श्री देवजी एम॰ पटेलः
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या देश म डॉक्टरों को अत्याधिक कमी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोट के अनुसार देश म इस समय 1953 लोगों पर एक डॉक्टर है जबकि देश म प्रति एक हजार व्यक्तियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए;

(ख) यदि हां तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए ह;

(ग) इस समय देश म डॉक्टर रोगी अनुपात का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का खराब स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थित करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों का मेडिकल कॉलेज के तौर पर उन्नयन करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के प्रथम चरण म राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है?

□त□□

स□□स्थ्य □□ □ि□□□□ □ल□□□ □□ज□ □त्री□ (श्री□ □□श्वि□□ □□□□□ □□□□)□

(क) से (ग): भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, 31 जनवरी, 2019 तक कुल 11,57,771 एलोपैथिक डॉक्टर राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों/ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद म पंजीकृत ह। इनको 80 प्रतिशत को उपलब्धता मानते हुए अनुमान लगाया गया है कि लगभग 9.26 लाख चिकित्सक वास्तव म सक्रिय सेवा के लिए उपलब्ध ह। इससे1.35 विलियन के वतमान जनसंख्या अनुमान के अनुसार डॉक्टर और जनसंख्या के बीच 1:1457 का अनुपात निकलता है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 1:1000के मानक अनुपात से काफो कम है। इसके अलावा, देश म आयुवद, यूनानी और होम्योपैथी (एयूएच) के 7.88 लाख चिकित्सक ह। 80 प्रतिशत को उपलब्धता मानते हुए,

अनुमान है कि लगभग 6.30 लाख आयुवद, यूनानी और होम्योपैथी (एयूएच) चिकित्सक वास्तव म सेवा के लिए उपलब्ध हो सकते ह और इन्ह एलोपैथिक चिकित्सकोंके साथ मिलाकर देख जाए तो चिकित्सक और जनसंख्या के बीच का अनुपात 1:868 बैठता है। इसके अलावा, चिकित्सक जनसंख्या अनुपातसे संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े कद्र द्वारा नहों रखे जाते ह। तथापि, राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों/ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद म पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सकों को संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक म दिया गया है।

सरकार ने देश म चिकित्सकों को संख्या बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए ह। इनम निम्नलिखित शामिल ह:

स्नातक सीट बढ़ाने के लिए:

(i) एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम दाखिला क्षमता को 150 से बढ़ाकर 250 करना।

(ii) मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि, संकाय, स्टाफ, बिस्तर/ बिस्तरों को संख्या और अन्य अवसंरचना से जुड़े मानकों म ढील

(iii) एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार/ कद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण/ उन्नयन।

(iv) देश के अल्पसेवित जिलों को प्राथमिकता देते हुए जिला/ रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापना करना।

पीजी सीटों को वृद्धि के लिए:

(i) देश भर म सभी मेडिकल कॉलेजों म अध्यापक से छात्र के अनुपात को सभी एमडी/एमएस विषयों के लिए 1:1 से बढ़ाकर 1:2 और एनेस्थेसिया, फोरसिक मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और साईकियाट्री विषयों म 1:1 से बढ़ाकर 1:3 कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार द्वारा निधिपोषित सरकारी मेडिकल कालेजों म एमडी/ एमएस कोर्सों म प्रोफेसर के लिए अध्यापाक: छात्र अनुपात सभी क्लिनिकल विषयों म 1:2 से बढ़ाकर 1:3 और यदि एसोसिएट प्रोफेसर किसी यूनिट का प्रमुख है तो उसके लिए अनुपात को 1:1 से बढ़ाकर 1:2 कर दिया गया है। यह प्रावधान कतिपय शर्तों के साथ निजी मेडिकल कॉलेजों म भी लागू किया गया है। इससे देश म पीजी सीटों को संख्या बढ़ेगी।

(ii) फैकल्टी को कमी को दूर करने के लिए डीएनबी अहता को एमडी/ एमएस/ डीएम/ एमसीएच के बराबर कर दिया गया है और मेडिकल कॉलेजों म फैकल्टी के रूप म नियुक्ति के लिए मान्य कर दिया गया है।

(iii) मेडिकल कॉलेजों म अध्यापकों/डीन/प्रिंसीपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/सेवा विस्तार/पुन: नियुक्ति के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 70 वष करना।

(iv) नए पीजी कोर्सों को शुरू करने/ पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण/ उन्नयन।

(v) विनियमों म संशोधन करके सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए यह अनिवाय कर दिया गया है कि वे अपनी एमबीबीएस मान्यता/ मान्यता को जारी रखने को तारीख से तीन वर्षों के भीतर पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ कर।

(vi) कॉलेजों को चौथे नवीकरण (रिन्यूवल) के समय क्लीनिकल विषयों म पीजी कोर्सों के लिए आवेदन करने को अनुमति दी गई है, इससे पीजी कोर्सों को एक वष से भी अधिक पहले शुरू करने को प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा।

(घ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पूर्वात्तर/ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात म और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात म निधि के वितरण के साथ 'मौजूदा जिला/ रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापना' नामक कद्र द्वारा प्रायोजित स्कोम का क्रियान्वयन कर रहा है। इस स्कोम के तहत 21 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों म कुल 82 जिला अस्पतालों को मौजूदा जिला/ रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों को स्थापना के लिए चिह्नित किया गया है। इनम से 39 कायरत हो चुके ह।

****

□□□अ□

31 जनवरी, 2019 के अनुसार राज्य चिकित्सा परिषद/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद म पंजीकृत डाक्टरों को संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	पंजीकृत डाक्टरों को संख्या
1.	Andhra Pradesh	100587
2.	Arunachal Pradesh	973
3.	Assam	23902
4.	Bihar	40649
5.	Chattisgarh	8771
6.	Delhi	21394
7.	Goa	3840
8.	Gujarat	66944
9.	Haryana	5717
10.	Himachal	3054
11.	Jammu & Kashmir	15038
12.	Jharkhand	5829
13.	Karnataka	122875
14.	Madhya Pradesh	38180
15.	Maharashtra	173384
16.	Kerala	59353
17.	Mizoram	74
18.	Nagaland	116
19.	Orissa	22521
20.	Punjab	48351
21.	Rajasthan	43388
22.	Sikkim	1405
23.	Tamil Nadu	133918
24.	Uttar Pradesh	77549
25.	Uttrakhand	8617
26.	West Bengal	72016
27.	Tripura	1718
28.	Telangana	4942
29.	Medical Council of India*	52666
	Total	11,57,771

Note - The other State / UTs do not have their own Medical Registration Council. Hence, their workers get registration with the Councils of other neighbouring States.
* 52666 doctors were registered only with MCI. They are presumably working in States / UTs which do not have a medical register or anywhere in the country.